रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102022-239856 CG-DL-E-25102022-239856

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] No. 701] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2022/कार्तिक 3, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2022/KARTIKA 3, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 788(अ).—केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियम 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम 2017 में, नियम 5 में निम्नलिखत परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु कोई आवेदक, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के आरंभ से एक वर्ष की अविध के लिए केवल कृषि संबंधी माल का भंडारण करने वाले भांडागारों के पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क भगतान करने हेतु दायी नहीं होगा।"

[फा. सं. टीएफसी-04-2016-भंडारण-II] सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

7145 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(i) में सा.का.िन. संख्या 165 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.िन. सं. 1040 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2017, सा.का.िन. 251 (अ), तारीख 20 मार्च, 2018, सा.का.िन. 782 (अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2020, सा.का.िन.786 (अ), तारीख 3 नवम्बर, 2021 तथा सा.का.िन. 287 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

- **G.S.R. 788(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely: -
- 1. (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Second Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, in rule 5, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that an applicant shall not be liable to pay application fee for registration of warehouses storing only agricultural goods, for a period of one year from the commencement of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Second Amendment) Rules, 2022."

[F. No. TFC-04-2016-Storage-II]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R- 165(E), dated the 23rd February, 2017 and subsequently amended vide G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017, G.S.R. 251(E), dated the 20th March, 2018, G.S.R. 782(E), dated the 21st December, 2020, G.S.R. 786(E), dated the 3rd November, 2021 and G.S.R. 287(E), dated the 5th April, 2022.